उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर
बजरंग सिंह बनाम डूंगर सिंह
मु. नं. 44/2023

दुरुस्ती पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] [illegible] पर [illegible] किया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जा चुका है [illegible] तहसीलदार को [illegible] [illegible] दिनांक 14/10/25 को ई PD प्रस्ताव पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
* जिला-सीकर (राज.) *

14/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वास्ते ई. PD प्रस्ताव दि. 25/11/25 को पेश हो।
10/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी के आवेदन बाबत पत्रावली तलबी पर शीघ्र [illegible] करने बाबत पेश [illegible] [illegible] [illegible] की गई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार [illegible] के पत्रांक [illegible]/25/ उप. दिनांक 4/11/25 के [illegible] [illegible] प्रस्ताव [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उक्त [illegible] दुरुस्ती पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] पर [illegible] किया [illegible] तह[illegible] [illegible] [illegible] के [illegible]

F.D जारी करने में कोई आपत्ति नहीं
[signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
* जिला-सीकर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

दावा / मुकदमा सं.– 74 / 2023

बजरंगसिंह खीचड़ पुत्र नारायणलाल खींचड़ उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी खीचड़ों की ढाणी पो. खूड़ तहसील दाँतारामगढ़ जिला सीकर

– वादी

बनाम

01. ओंकारसिंह पुत्र किशनसिंह
02. नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह
03. भगवानसिंह पुत्र किशनसिंह
04. रिछपालसिंह पुत्र किशनसिंह
05. शायर कंवर पत्नी किशनसिंह
06. रूप कंवर पुत्री किशनसिंह
07. रघुनाथसिंह पुत्र अमरसिंह
08. समान कंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

09. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण मु. सबलपुरा जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री ताराचंद यादव, एड. वकील वादी की ओर से

–:निर्णयः–

दिनांक– 10.11.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा सं. 411 रकबा 1.7200 हेक्टेयर वाके ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के संबंध में वादी के वाद में बंटवारे के अनुतोष को स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी के बंटवारा हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 01.10.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ. / 25 / 3741 दिनांक 04.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। बहस एकपक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित वकील वादी उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सहमत है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3741 दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 411 रकबा 1.7200 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	ओंकारसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 भगवानसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 रिछपालसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 रूपकंवर पुत्री किशनसिंह हि. 1/12 शायरकंवर पत्नी किशनसिंह हि. 1/12 रघुनाथसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	411 मिन	0.1800	बारानी–3
	योग	किता 1	0.1800	–
2	समानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा सम्पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार	411 मिन	0.5500	बारानी–3
	योग	किता 1	0.5500	–
3	बजरंगसिंह खीचड़ पुत्र नारायण लाल खीचड़ हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. खीचड़ों की ढाणी, खूड़ तहसील दांतारामगढ़ खातेदार	411 मिन	0.9900	बारानी–3
	योग	किता 1	0.9900	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3741 दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

बजरंगसिंह खीचड़ बनाम ओंकारसिंह आदि

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 74/2023 निर्णय दिनांक– 10.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री ताराचंद यादव, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू —— मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3741 दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित आराजी कृषि भूमि खसरा सं. 411 रकबा 1.7200 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	ओंकारसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 नरपतसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 भगवानसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 रिछपालसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/12 रूपकंवर पुत्री किशनसिंह हि. 1/12 शायरकंवर पत्नी किशनसिंह हि. 1/12 रघुनाथसिंह पुत्र अमरसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	411 मिन	0.1800	बारानी–3
	योग	किता 1	0.1800	—
2	स्मानकंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह हिस्सा सम्पूर्ण जाति राजपूत सा.देह खातेदार	411 मिन	0.5500	बारानी–3
	योग	किता 1	0.5500	—
3	बजरंगसिंह खीचड़ पुत्र नारायण लाल खीचड़ हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. खीचड़ों की ढाणी, खूड़ तहसील दांतारामगढ़ खातेदार	411 मिन	0.9900	बारानी–3
	योग	किता 1	0.9900	—

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3741 दिनांक 04.11.2025 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

यह आज तारीख 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

मुहर

(उपखण्ड अधिकारी जिला–सीकर (राज.) धोद)

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.11.17 14:30:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner